नम्बर व तारीख
अहलकार जो इस हुक्म
के सम्बन्ध में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 127/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. गोपाल लाल पुत्र सूरज राम मीणा जाति मीणा निवासी सुल्यावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. **श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर सें।**

नि र्ण य **दिनांक – 05.11 .2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 985, 987, 988, 989 किता 4 कुल रकबा 3.27 है0 वाके ग्राम सुलियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी का कम्रश 1/20, 1/20 हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। उक्त खातेदारी वादी के नाम गोविन्दा पुत्र सुरजा जाति मीणा निवासी सुलियावास के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाल लाल है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड में वादी का नाम गोपाल लाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम गोपाल लाल की जगह गोविन्दा दर्ज हो गया है जो गलत है गोविन्दा की जगह वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाललाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम गोपाल लाल है तथा गोपालाल पुत्र सुरज राम मीणा व गोविन्दा पुत्र सुरजा एक ही व्यक्ति है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय में गये तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 985, 987, 988, 989 किता 4 कुल रकबा 3.27 है0 वाके ग्राम सुलियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपालाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम गोविन्दा के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाललाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपालाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम गोविन्दा के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाललाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम सुलियावास के कृषि भूमि खसरा नम्बर 985, 987, 988 व 989 एवं ग्राम सुलियावास के आम चौक में पुछताछ करने पर ग्रामवासिंयों एवं सहखातेदारों ने उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम गोपाल लाल पुत्र सुरजा बताया गया तथा प्रार्थी ने भी गोपाललाल के दस्तावेज पेश किये गये। पूछताछ में सहखातेदारों और ग्राम वासियों ने बताया कि गोविन्दा पुत्र सुरजा व गोपाल लाल पुत्र सुरजा एक व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 985, 987, 988, 989 किता 4 कुल रकबा 3.27 है0 वाके ग्राम सुलियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम गोविन्दा के स्थान पर वादी सही व वास्तिविक नाम गोविन्दा उर्फ गोपाल लाल पुत्र सुरजा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

गोपाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 127 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 05.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 985, 987, 988, 989 किता 4 कुल रकबा 3.27 है0 वाके ग्राम सुलियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम गोविन्दा पुत्र सुरजा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर गोविन्दा उर्फ गोपाल लाल पुत्र सुरजा संशोधित करने की उद्‌घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.11.2020 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	--	--	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--	--	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ